तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	वकील के हुक्म की तारीख में वापसी
26/11/2020	कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में दिनांक कार्यवाही स्थगित रखी गई की जिले राज्य सरकार के मार्गदर्शन के बाद पुनः सुनी की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25/11/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
26/11/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी गण सं. 2, 12, 19, 20 की तरफ कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। ना हि आदिनांक तक अन्य प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश नहीं किये गये। अतः पत्रावली आदेश 9 नियम-5 के अन्तर्गत आदिनांक तक सम्मन पेश नहीं होने के कारण पत्रावली खारीज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.03.08 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested